Tele No. 06454243314
Fax No. 06454243314
Mobile No.9473077160

समाहरणालय, पूर्णियॉ
सूचना भवन
जन संपर्क कार्यालय

Website: https://www.prdbihar.gov.in
Email ID :dpro.purnia@gmail.com

प्रेस–नोट

मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाषन

पूर्णियाँ 19 मई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संक्षिप्त पुनरीक्षण–2015 हेतु प्रेषित कार्यक्रम के अनुसार पूर्णियाँ जिलान्तर्गत सभी सात विधानसभा क्षेत्र यथा 56–अमौर, 57–बायसी, 58–कसबा, 59–बनमनखी(अ,जा,) 60–रूपौली, 61–धमदाहा एवं 62–पूर्णियाँ के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाषन दिनांक 15.05.2015 को सभी निर्दिष्ट स्थानों पर कर दिया गया है।

प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार दावा/आपत्ति दाखिल करने की अवधि

– 15.05.2015 से 13.06.2015 तक।

– विशेष अभियान दिवस 24.05.2015 एवं 07.06.2015

– निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाषन 30.07.2015 को किया जायेगा।

– प्रारूप प्रकाषित नामावली मे निर्वाचको की कुल सं0 1896457 है, कुल मतदान केन्द्रों की सं0 1757 है। कुल बीएलओ की संख्या– 1757 है।

इसी क्रम में जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक–16.05.2015 को जारी निदेष के द्वारा दिनांक 15.05.2015 से मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाषन अवधि तक निर्वाचन संबंधी नामावली में षिकायतों की प्राप्ति एवं निराकरण तथा आवष्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिये समाहरणालय के समाधान केन्द्र में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या– **06454 –241010, 241011, 242319** है। जल्द ही टॉल फ्री नं0 भी जारी किया जाएगा।

जिला नियत्रंण कक्ष में कार्य करने के लिये सोमवार से शनिवार तक प्रति दिन 7:00 पूर्वा0 से 1:00 अप0 तथा 1:30 अप0 से 10:00 बजे रात्रि तक 3–3 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनमें एक पर्यवेक्षक स्तर, एक लिपिक स्तर एवं एक अनुसेवक स्तर के कर्मी शामिल होंगे।

उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी (निर्वाचन) को नियंत्रण कक्ष में एक टाल फ्री नंवर अधिष्ठापित करने का निदेष जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया है।

वरीय उप–समाहर्त्ता–सह–नोडल पदाधिकारी(निर्वाचन) श्री अजय कुमार ठाकुर, जिला नियत्रंण कक्ष का समुचित संचालन सुनिष्चित करायेगें। सभी विधान सभा से संबंधित सूचना तथा मतदाता सूची में नाम शामिल करने/सेवा मतदाता तथा अन्य से संबंधित निदेष/प्रतिवेदन का दो–दो फोल्डर नियत्रंण कक्ष को उप–निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। निर्वाचक नामावली के संबंध में सभी प्रकार के परिवार/सूचना के संकलन हेतु विधान सभा क्षेत्र वार पंजी का संधारण किया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर की गयी कार्रवाई के संबंध में सूचना कर्त्ता को उनके दूरभाष/मोबाईल पर सूचित भी किया जा रहा है।

सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ जिला स्तर पर बैठक करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा कई निदेष दिये गये। निर्वाचक नामावली बीएलओ को उपलब्ध कराया गया अथवा नहीं। दोहरी ईपिक नं0 के विरूद्ध निर्गत ईपिक के वितरण की स्थिति। विधानसभा के अंदर दोहरी प्रविष्ट के विलोपन की स्थिति। आधार नं0 मोबाईल नं0 एवं ई–मेल के संग्रहण की प्रगति। बीएलओं के कार्य के जांच की स्थिति। लोकसभा चुनाव 2014 के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के 10 प्रतिषत लोवर पोल वाले मतदान केन्द्र पर कम मतदान के कारणों की जांच। बीएलओ द्वारा किये गये कार्य के औचक निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु

10 मतदान केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गयी है या नहीं ? बीएलओ द्वारा दावा आपत्ति से संबंधित प्राप्त आवेदन यथा 6. 6क. 7. 8 एवं 8क पंजी में संधारित किया जा रहा है अथवा नहीं। आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जा रही है अथवा नहीं ? जॉचोपरांत दावा आपत्ति से संबंधित आवेदन आवष्यक कार्रवाई हेतु सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास भेजा जा रहा है अथवा नहीं। प्रवासी मतदाता द्वारा प्ररूप 6क में आवेदन प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं ? प्ररूप 6 में प्राप्त आवेदन में 18–19 वर्ष आयु समूह के कितने आवेदन है। पुरूष एवं महिला अलग–अलग दर्षाते हुए विवरणी तैयार की गयी है या नहीं ? बीएलओं द्वारा विभिन्न आयु समूह यथा 18–19 वर्ष 20–29 वर्ष 30–39 वर्ष आदि के क्रम मे मतदाता की विवरणी तैयार है अथवा नहीं ?

निर्वाचन सूची में जिन मतदाता के नाम के आगे छाया चित्र नहीं है अथवा खराब छाया चित्र है उनसे अच्छा रंगीन छाया चित्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं ? जिस निर्वाचक के नाम के आगे किसी अन्य व्यक्ति का चित्र लगा है सही छाया चित्र संग्रहित किया जा रहा है अथवा नहीं ? प्रारूप प्रकाषन के बाद उस भाग सं0 में कोई नया मकान बन गया है, यदि हॉ तो उसमें रहने वाले योग्य व्यक्ति के द्वारा नाम सम्मिलित हेतु आवेदन दिया गया है या नहीं ? बीएलओ के भाग क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग के मतदाता, मलिन बस्ती में रहने वाले योग्य मतदाता आदि का नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज हुआ है या नहीं ? बीएलओ के पास उनके भाग क्षेत्र अंतर्गत हाल में मृत व्यक्ति के संबंध में संख्यात्मक सूचना है अथवा नहीं ? बीएलओ के पास ईपिक वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं, यदि हॉ तो इसके वितरण की स्थिति ? दोहरी ईपिक वाले मतदाता के विरूद्ध तैयार जो नये ईपिक वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये है उनके वितरण की स्थिति। बीएलओ के द्वारा दोहरी प्रविष्टि से संबंधित बिंदूओं की जॉच की गयी है या नहीं, क्या अब भी उनके भाग सं0 अंतर्गत दोहरी प्रविष्टि रह गयी है ? विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दोहरी प्रविष्टि सूची की जॉच बीएलओ द्वारा की जा रही है या नहीं ? बीएलओ के द्वारा आधार नं0 मोबाईल नं0 एवं ई–मेल नं0 के संग्रहण से संबंधित विवरणी उपलब्ध है अथवा नहीं ? बीएलओ के द्वारा निर्वाचन सूची में दर्ज 80 वर्ष से अधिक के मतदाता का भौतिक रूप से सत्यापन किया जा रहा है अथवा नहीं ?

सभी बीएलओ सेमुस्तैदी एवं सावधानी पूर्वक कार्य संपादन कराने हेतु प्रखंड स्तर पर प्रषिक्षण/कार्यषाला का आयोजन करने का निदेष सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा यह निदेष दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 5 (पॉच) बीएलओ के कार्यो की जॉच सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/अवर निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे तथा प्रतिदिन इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में जिला निर्वाचन शाखा को भेजना सुनिष्चित करेंगे। सभी निर्वाचक निवंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी को निदेष दिया गया कि अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर उसका विधिवत आदेष निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला निर्वाचन शाखा को उपलब्ध करायेगें। किसी प्रकार की गैर जिम्मेदारी एवं लापरवाही को गंभीरता से लिया जायगा। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

जिला जन संपर्क पदाधिकारी,
पूर्णियाँ